

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2016

विषय:- प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/1230/2016-5/53/2016 दिनांक 11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों की प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी है:-

- 1- प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- 2- प्रायोजना स्थल के अनुसार, यदि आवश्यक हो नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- 4- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-3487 जी/71(1)बी.पी.-विंग/2014 दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु प्रदान किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यवाही संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर अत्युष्टि स्थलों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)
मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के
मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन

(प्रस्तावित लागत रु0 34.35 लाख)

कार्यदायी संस्था-पंचायती राज विभाग

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0-प्रायोजना प्रस्ताव

- 1.1- पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रु0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।
- 1.2- प्रश्नगत प्रायोजना का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02-12-2014 (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-1) में प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित मानकीकृत लागत रु0 15.14 लाख के सापेक्ष रु0 14.87 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया था। पुनः प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-8-2015 में पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु प्रस्तुत किया गया था। (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-2) समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02-12-2014 में प्रायोजना के अनुमोदन के समय दिये गये निर्देश संख्या-2 में संशोधन करते हुए यह अपेक्षा की गई कि स्थल की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हो, तो प्रशासकीय विभाग नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेंगे। प्रायोजना हेतु शेष शर्तें यथावत् रहेगी, निर्देश दिये गये थे। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मानकीकृत लागत में लकड़ी स्टोर व अंत्येष्टि स्थल पर आन्तरिक इण्टर लाकिंग की लागत सम्मिलित नहीं थी, जिसे सम्मिलित करते हुए संशोधित मानकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्कम में प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
- 1.3- संदर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0-विंग/2014 दिनांक 10-11-2014 (संलग्नक-3) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लकड़ी के स्टोर एवं अंत्येष्टि स्थल पर इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराये जाने का निर्देश दिये गये है।

1.4- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन उप, निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज, उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, निदेशक, पंचायतराज, उ०प्र० द्वारा संस्तुत है तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अनुमोदित है।

2.0- आवश्यकता एवं औचित्य

प्रायोजना प्रतिवेदन के प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तेष्टि स्थल के विकसितीकरण के लिए प्रस्ताव का गठन किया गया है।

3.0- प्रायोजना प्राविधान

क्र०सं०	कार्यमद	इकाई	मानकीकृत स्वीकृत मात्रा	मानकीकृत हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	कुल क्षेत्रफल	व०मी०	158.79	158.79
2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न०	1.00	1.00
3	हार्टीक्चर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	0
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न०	2.00	0
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लाकिंग टाइल्स के साथ	व०मी०	0	200.00
6	बुड स्टोर	व०मी०	0	54.00
7	आन्तरिक इण्टर लाकिंग टाइल्स	व०मी०	0	693.12

4.0- दरें :-

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की दिनांक 15-09-2015 से प्रभावी कुरसी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

5.0- लागत विश्लेषण:-

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सार्वेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मद विवरण	इकाई	पूर्व मानकीकृत लागत			पुनरीकृत मानकीकृत प्रस्तावित लागत			(लागत रु० लाख में)		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
A	सिविल कार्य		वर्ष 2014 की कुरसी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुरसी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुरसी क्षेत्रफल दरों पर		
1	कुल क्षेत्रफल	व०मी०	158.79	7700.00	12.23	158.79	8000.00	12.70	158.79	8000.00	12.70

2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00
3	लॉटीकवर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10			0.00			0.00
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	10000.00	0.20			0.00			0.00
5	रोड यन्त्रवटविटी इण्टर लाकिंग टाइल्स के साथ	मी0				200.00		10.30	200.00	दिवरगानुसार	9.95
6	बुड स्टोर					54.00	8000.00	4.32			
7	आन्तरिक इण्टर लाकिंग टाइल्स					693.12	869.36	6.03	ग्रा. पंचायत द्वारा अपने सभासदों से यह कटौत उपलब्ध करायेगा।		
	योग				13.52			34.35			23.65
8	आकस्मिक व्यय	लाख रु0	13.52	2%	0.27			0.00	23.65	2%	0.47
	योग				13.79			34.35			24.12
9	5 प्रतिशत की कमी	लाख रु0	13.79	-5%	-0.69			0.00			0.00
	योग				13.10			34.35			24.12
10	सेन्टेज चार्ज	लाख रु0	13.10	12.50%	1.64			0.00			0.00
11	तेवर सेंस	लाख रु0	13.10	1.0%	0.13			0.00	24.12	1%	0.24
	प्रायोजना की कुल लागत				14.87			34.35			24.36

6.0-प्रभाग की टिप्पणी

- पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रु0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित मानकीकृत लागत रु0 34.35 लाख सापेक्ष लागत रु0 24.36 लाख आंकलित की गई है।
- प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(हस्ताक्षर)

- 2- प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- 4- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० के पत्रांक 3487जी/71(1) बी०पी०-विंग/2014 दिनांक 10-11-2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
- 6- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस०ओ०आर० पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 7- प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

+++++

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुखसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका / कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. उद्देश्य

- (1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।
- (2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
- (3) शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकड़ी का टाल स्थापित किया जाना।
- (4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाय कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।
- (5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य ऐसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित / व्यवस्थित की जायेगी:-

- अंत्येष्टि स्थल शेड (12मीटर X 05 मीटर) (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ती स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकड़ी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्थान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।
- स्थान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूंकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अतः निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षों में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि / स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा भी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की वरीयता क्रम में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों को बराबर संख्या में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।
8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संक्षिप्त विवरण अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।
10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज 30प्र० के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित /संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूर्ति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपभाग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. उक्त निर्माण का अनुश्रवण निदेशक, पंचायती राज 30प्र० द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।
13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० के निवर्तन पर रखने हेतु निर्गत की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त 30प्र०।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०) उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।